

कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन।

क्रमांक7.6../स्था.

दिनांक.....11.....दिसम्बर, 2025

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 21/विविध/2025 दिनांक 06.11.2025 के अनुसार अधिसूचना क्रमांक 09/ई.वी./2025 दिनांक 20.11.2025 द्वारा दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक अधीनस्थ न्यायालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। अतः उक्त अवधि में अधीनस्थ न्यायालय बन्द रहेंगे।

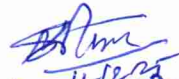
अतः उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश अवधि के दौरान डीडवाना-कुचामन न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों से संबंधित आवश्यक फौजदारी व आवश्यक दीवानी कार्य करने हेतु निम्न प्रकार से व्यवस्था की जाती है:-

01. उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि के दौरान डीडवाना-कुचामन न्यायक्षेत्र के जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना/लाडनूं/कुचामन/मकराना/सं.01, परबतसर/सं. 02, परबतसर के न्यायालयों से संबंधित आवश्यक प्रकृति के फौजदारी व दीवानी प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण, उक्त न्यायालयों से सम्बन्धित जमानत एवं निरोध की अभिवृद्धि (Remand) इत्यादि से सम्बन्धित कार्य करने हेतु निम्नांकित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	दिनांक जिस हेतु अधिकृत किया गया है
01	श्री रामपाल, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर (0)01589-271231 (R)01589-299005 मो.नं.8890841944 acjmpar-nag-rj@hcraj.nic.in	26.12.2025 व 29.12.2025
02	श्री रूपेन्द्र चौहान, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना (0)01588-247550 मो.नं.9460145435 acjmmak-nag-rj@hcraj.nic.in	30.12.2025 व 31.12.2025

02. उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि के दौरान डीडवाना-कुचामन न्यायक्षेत्र के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना/लाडनूं/कुचामन/नावां/मकराना/परबतसर एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना/मकराना से संबंधित जमानत एवं निरोध की अभिवृद्धि (Remand) इत्यादि से सम्बन्धित कार्य एवं आवश्यक प्रकृति के दीवानी मामलों के निस्तारण हेतु निम्नांकित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	दिनांक जिस हेतु अधिकृत किया गया है
01	श्री पंकज, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना (0)01580-223697 (R) 01580-223698 मो.नं.8949152261 cjjmdee-nag-rj@hcraj.nic.in	26.12.2025 व 29.12.2025
02	सुश्री पूनम योगी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना (0)01588-247661) मो.नं.9511506289 cjjmmak-nag-rj@hcraj.nic.in	30.12.2025 व 31.12.2025


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
डीडवाना(जिला-डीडवाना-कुचामन)

शीतकालीन अवकाश अवधि में उक्त न्यायालय व कार्यालय उनके आगे अंकित तिथियों में नियमित रूप से खुले रहेंगे तथा इन न्यायालयों में कार्यरत सभी कर्मचारीगण भी नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।

उपर्युक्त आदेश से अधिकारीगण को शीतकालीन अवकाश अवधि में जिस तिथि तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है, वह आगामी अधिकृत अधिकारीगण की तिथि को कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर कार्य करेंगे।

परबतसर, मकराना व डीडवाना मुख्यालय पर शीतकालीन अवकाश अवधि में उपर्युक्त न्यायालयों के खुले रहने के कारण प्रतिलिपि शाखा व नजारत शाखा के कर्मचारीगण भी उपरोक्त आदेशानुसार आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।


11/12/25
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
डीडवाना।

क्रमांक 1673-1682

दिनांक ...11/12/25... दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
02. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, डीडवाना न्यायक्षेत्र।
03. प्रभारी अधिकारी नजारत/प्रतिलिपि शाखा, परबतसर/मकराना/डीडवाना।
04. व.रीडर, जिला एवं सेशन न्यायालय, डीडवाना।
05. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, डीडवाना/लाडनूं/कुचामन/नावां/मकराना/परबतसर द्वारा संबंधित मुख्यालय के वरिष्ठतम न्यायालय।
06. जिला कलक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक, डीडवाना।
07. सहायक निदेशक अभियोजन विभाग, ।
08. अधीक्षक, जिला कारागृह, डीडवाना।
09. इन्चार्ज, सब-जेल, परबतसर/मकराना।
10. रक्षित पत्रावली।
12.


11/12/25
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
डीडवाना।